

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004
(आय-कर)

का.आ. 53(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि धारा 139 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के उपबंध ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे, जो ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी आय पेंशन से होती है किन्तु जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी कारबार या व्यवसाय में नहीं लगे रहे हैं।

[अधिसूचना सं. 15/2004/फा. सं. 142/02/2004-टीपीएल]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव